तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भवानीसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 120 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.20	अपीलार्थी भवानीसिंह पुत्र शंकरराम मेघवाल, पता देवगढ तहसील बालेसर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08. 02..20 में उसके द्वारा (1) ग्राम सेवा सहकारी समिति गोपालसर, तहसील बालेसर के कमेटी का ब्यौरा, अध्यक्ष सचिव की जानकारी व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(अपर कलक्टर जोधपुर) से जरिये पत्रांक 697 दिनांक 09.09.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर सहकारी समितियां जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी, सहकारी समितियां, जोधपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा प्रार्थी को सूचनार्थ पत्र भी जारी किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित किया जा चुका है [illegible] अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने पर उसके प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करे। अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2020.10.13 17:49:31 IST
Reason: SelfAttested